'सामाजिक न्याय एवं अधिकार संगठन' ने विफल किया....

पेज एक का शेष

दीनदयाल गौतम

होने से बचाने की ज़िम्मेदारी हर जागरूक नागरिक की है. इसे मुस्लिमों द्वारा ही शुरू किया जाए, ऐसी अपेक्षा करना अपने फ़र्ज़ से मुंह मोड़ना है.

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' पुलिस प्रशासन से ये भी अनुरोध करता है कि उन्मादियों के विरुद्ध, कार्यवाही का दिखावा नहीं बल्कि तत्काल सख्त कार्यवाही करे. यदि ऐसा नहीं होता है तो संयुक्त जन आन्दोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत डी सी को ज्ञापन देने से होगी.

गौरतलब है कि इस औद्योगिक शहर में संघियों द्वारा भड़काने के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई दंगे सम्भव नहीं हो पाये। यहां पर हिन्दू-मुस्लिम मज़दूर अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिये मिलकर कड़ा संघर्ष करते हैं। अपनी न्यायोचित मांगों के लिये एक साथ यूनियन बनाकर उद्योगपतियों से भिड़ते भी हैं। मज़दूरों की इसी एकता को तोड़ने के लिये धर्म के ठेकेदार सदैव हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराने की फिराक में रहते हैं।

इसी उद्देश्य को लेकर दिनांक 18 नवम्बर को बिट्टू बजरंगी नामक एक असामाजिक तत्व अपने साथ, अपने जैसे 100-50 लुंगाड़े लेकर थाना कोतवाली के लगभग सामने बनी एक मजार पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सारे शहर में उसको इस काम के लिये और कोई जगह नहीं मिली। दरअसल उसे हनुमान चालीसा से कोई मतलब नहीं था, उसे तो लोगों की भावनायें भड़का कर दंगा कराने से मतलब था। उसके इस उद्देश्य का मुंहतोड़ जवाब मुसलमानों के बजाय दीनदयाल गौतम के संगठन की ओर से आया। यह एक सराहनीय कदम था। दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि कोतवाली के सामने इतना बड़ा जमावड़ा लगने दिया गया।

गौतम के साथियों ने जब वहां जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गौतम की शिकायत पर पुलिस ने धारा 295ए तथा 34 के तहत मुकदमा नम्बर 620 दिनांक 19 को दर्ज किया। लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही किये जाने की कोई उम्मीद है। अगर कार्रवाई करने की मंशा होती तो वहां इन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ही न लग पाता। सर्वविदित है कि थानेदार यदि थोड़ी सी आंख तरेर दे तो बिट्टू जैसे अधकचरे वहां से गुजरने की भी हिम्मत न कर सकते। दूसरी गौरतलब बात यह है कि इस गुंडा गिरोह के ऊपर पुलिस ने न तो यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल किया और न ही कोई गिरफ्तारी की। क्या ये धारायें केवल सरकार के आलोचकों के लिये बनाई गई है?

दीनदयाल गौतम से बात करने पर उन्होंने बताया कि यदि समय रहते भाजपाई शासन-प्रशासन ने इस तरह के असामाजिक तत्वों पर लगाम न लगाई तो उनका संगठन अन्य मज़दूर संगठनो के साथ मिल कर ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। सभी जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जन विरोध से डरते ये लोग सदैव पुलिस संरक्षण में ही गुंडागर्दी करते हैं।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

निर्णायक संघर्ष की ओर मासा के बढ़ते कदम

मुकेश असीम

मासा देश भर में कार्यरत मजदूर संगठनों का एक साझा मंच है - एक ऐसा साझा मंच, जो वर्षों से संघर्ष के नाम पर संघर्ष की रस्मअदायगी में लगे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं महासंघों का विकल्प बनने, यानी सुस्त पड़े मजदूर वर्ग के आंदोलन के क्रांतिकारी उत्थान करने की घोषणा और इसे लागू करने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। हम अगर इन सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व को गद्दार भगोड़ा कहते हैं, तो इसकी वजह है यह है कि मजदूर वर्ग पर मोदी सरकार के हो रहे सबसे बड़े हमले का एक लंबा दौर बीत जाने के बाद भी सरकार और उसके आका पूंजीपति वर्ग से लोहा लेने और आर-पार की निर्णायक लड़ाई लड़ने के बदले ये पीठ दिखा रहे हैं। मजदूर वर्ग की तरफ से ये किसी निर्णायक संघर्ष का नाद नहीं कर रहे हैं, अपितु सरकारों के समक्ष मिमियाने का काम करते हैं। इसलिए "निर्णायक" शब्द का यहां बड़ा महत्व है। और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सांकेतिक हड़तालें आखिर क्या हैं? वैसे तो सांकेतिक हड़तालें मजदूर वर्ग की तरफ से पूंजीपति वर्ग को हमले रोकने की चेतावनी देने हेतु किये जाने वाले सेना के फ्लैग मार्च की तरह की सीमित लड़ाइयां होती हैं, लेकिन वर्षों तक एकमात्र यही कर के इन सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने इसके ऐतिहासिक महत्व को भी नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। फ्लैग मार्च अब फ्लैग मार्च नहीं रह गया है, पूरी तरह संकेतवाद तथा रस्मअदायगी में बदल दिया है। आज ये यह कहते प्रतीत होते हैं - "कहां की सेना, और कैसा फ्लैग मार्च!"

"भारत में नई श्रम संहिताएं मजदूर वर्ग पर फासीवादी हमलों का ही एक रूप बन कर आयी हैं, जिसके पीछे देशी-विदेशी बड़ी पूंजी का प्रत्यक्ष हाथ है। स्थापित केंद्रीय ट्रेड यूनियनें अपनी कमजोरी, समझौतापरस्त नीति और 'आंदोलन' की रस्म-अदायगी के चलते नई श्रम संहिताओं के खिलाफ देश भर में मजदूर वर्ग के एक निरंतर, जुझारू और निर्णायक संघर्ष को दिशा देने में नाकाम साबित हुई हैं। किसान आंदोलन ने कॉर्पोरेट-पक्षीय कृषि कानूनों के खिलाफ निरंतर जुझारू आंदोलन चलाकर आज उदाहरण पेश किया है कि यदि मजदूर वर्ग भी पूंजीपति वर्ग की प्रबंधक सरकारों द्वारा बनाए गए मजदूर विरोधी नीतियों व मौजूदा शोषणमूलक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ निरंतर जुझारू संघर्ष चलाए तो वह भी सफलता हासिल कर सकता है। नई श्रम संहिताओं के खिलाफ देश के पैमाने पर ऐसा मजदूर आंदोलन अभी तक नहीं बन पाया है। मगर देश भर में बीते कुछ समय में कई जुझारू मजदूर संघर्ष हमने देखे हैं जो हमारे अंदर उम्मीद जगाते है। मारुति-हौंडा-प्रिकोल-एलाइड निप्पन आदि सैंकड़ों कारखानों में मजदूरों का जुझारू संघर्ष, बेंगलुरु में गारमेंट मजदूरों का संघर्ष, केरल के चाय बागान मजदूरों का संघर्ष, आर्डिनेंस-खदान सहित कई सेक्टरगत संघर्ष, असंगठित क्षेत्र में आशा-आंगनवाड़ी महिला मजदूरों का संघर्ष, प्लेटफॉर्म और गिग मजदूरों का संघर्ष जारी रहा है। इन संघर्षों का दायरा स्थानीय या सेक्टरगत ही रहा, मगर नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ एक जुझारू संघर्ष की अंतर्वस्तु भी इन संघर्षों में हमें देखने को मिली। मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करके मजदूर-पक्षीय श्रम कानून बनाने, निजीकरण के जरिये देश बेचने की प्रक्रिया को रद्द करके सभी बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने, व संगठित-असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के सम्मानजनक स्थायी रोजगार और जायज अधिकारों के लिए संघर्ष को एक निरंतर, जुझारू और निर्णायक दिशा देना आज बेहद जरूरी बन गया है, जिसको असल में इस शोषण पर टिकी दमनकारी व्यवस्था को ही बदलने के संघर्ष में तब्दील करना पड़ेगा।"

ऊपर के शब्द मासा द्वारा 13 नवंबर "राष्ट्रपति भवन चलो" के लिए पेश आह्वान पर्चा से लिये गये हैं। हम इसमें प्रयुक्त "निर्णायक संघर्ष" के बारे में मुख्य रूप से कुछ बात करेंगे। जहां तक बीते साल हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में यहां कुछ कही गई बातों का सवाल है, तो हमें यह मालूम नहीं है कि उसे कौन सी "निर्णायक" सफलता मिली है? क्या कृषि कानूनों की वापसी "निर्णायक" सफलता थी? लेकिन ये तो किसान भी नहीं मानते हैं कि उसमें निर्णायक सफलता जैसी कोई चीज थी या है! तभी तो एक बार फिर से वे "निर्णायक" संघर्ष की शुरूआत करने का आह्वान कर रहे हैं। उसी तरह किसान आंदोलन कितना "निर्णायक" आंदोलन साबित हुआ इसके बारे में भी बहस हो सकती है, लेकिन क्या किसान ही इस बात से सहमत हैं? बाकी तो ऊपर के उद्धरण में पिछले दिनों हुए उन विश्रृंखलित लेकिन शानदार मजदूर आंदोलनों की एक फेहरिस्त है जो इस बात के गवाह हैं कि भारत में क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन की जमीन मौजूद है। हालांकि इन आंदोलनों की फेहरिस्त बनाकर यहां उद्धृत करने की मजबूरी यह भी साबित करती है या साबित कर रही है कि उस क्रांतिकारी जमीन का

शेष पेज छह पर

डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, इलाज करेंगे.....

पेज एक का शेष

घोटालेबाज भ्रष्ट अफ़सरशाह डकार जाते हैं। सरकार के पास तमाम तरह की फिजूल खर्चियां तथा अय्याशियों पर खर्च करने के लिये पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिये। ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा मज़दूरों के वेतन से वसूले गये अपार धन के बावजूद इसके अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में न तो पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ़ है और न ही आवश्यक दवायें तथा उपकरण; क्योंकि सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है।

विशुद्ध राजनीतिक खेल है 'आयुष्मान भारत'

वर्ष 2018 में मतदाताओं को लुभाने के लिये 50 करोड़ 'आयुष्मान कार्ड' बनाने का लक्ष्य रख कर एलान किया गया था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा है जो मोदी ने दी है। सरकार द्वारा पूरा जोर लगा देने के बावजूद अभी तक केवल 19 करोड़ कार्ड ही बन पाये हैं। दरअसल इस योजना का लक्ष्य चिकित्सा सेवा देना न होकर केवल मोदी के लिये प्रोपेगेंडा करना था। कार्ड बनवाने के लिये मोदी के चित्र वाला एक पत्र 50 करोड़ लोगों को भेजे जाने की तैयारी की गई थी। करीब 500 करोड़ की लागत से ये पत्र छपवा भी लिये गये थे। इन पत्रों को डाक द्वारा भेजने की बजाय आंगनबाड़ी तथा आशा वर्करों द्वारा दस्ती भेजने की योजना थी। योजना के पाखंड को समझते हुए दिल्ली तथा बंगाल जैसे कई राज्यों ने मानने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों तथा जनता ने भी इसके प्रति घोर उदासीनता दिखाई। जिन लोगों ने जैसे-तैसे करके ये कार्ड बनवा भी लिये थे, वे भी जरूरत पड़ने पर इसका कोई लाभ न उठा सके। इससे भी लोगों में कार्ड के प्रति उदासीनता बढ़ती चली गई। इसके अलावा सरकार ने आधार वर्ष के रूप में जो 2011 तथा आय सीमा 1 लाख 20 हजार रखी थी, वह भी समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। इस लिये सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार कर दिया। आंकड़े छिपाने में माहिर यह सरकार सही-सही तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन समझा जा रहा है कि बढे हुए आय वर्ग में से ज्यादा लोग इनके जाल में फंसते जा रहे हैं।

इस पाखंड जाल में फसाने के लिये सरकार ने अपने तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को झोंक रखा है। इनके द्वारा नासमझ लोगों को तरह-तरह के सब्जबाग दिखाये जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को इसमें फासने के लिये अधिक आय वाले लोगों को भी 1 लाख 80 हजार के दायरे में दिखा कर उन्हें कार्ड दिला कर 'उपकृत' किया जा रहा है। लेकिन इस उपकृत होने की पोल भी उस दिन खुल जायेगी जब कार्ड धारक को इलाज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल सरकार ऐसे कोई आंकड़े पेश नहीं कर रही जिससे पता चल सके कि कितने कार्डधारक लाभान्वित हुए हैं। केवल दो-चार लाभार्थियों की कहानी सुना-सुना कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।